राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक.सं. प. 9(18) राज–6/18/13 जयपुर, दिनांकः 15.03.2018

अधिसूचना

यतः राजस्व ग्रामों के नक्शों के डिजीटाईजेशन की प्रक्रिया में जमाबंदी के प्रत्येक खसरे का नक्शे के प्रत्येक खसरे से मिलान करते समय यह ध्यान में आया है कि कतिपय राजस्व ग्रामों के कुछ खसरें सम्बन्धित ग्राम की सीमा के अन्दर स्थित न होकर अन्य निकटवर्ती ग्राम की सीमा में स्थित है। इससे प्रशासनिक असुविधा के साथ–साथ भू–अभिलेखों के संधारण में भी कठिनाई उत्पन्न होती है।

अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (वर्ष 1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 260 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उन मामलों में जहाँ कुछ खसरे सम्बन्धित ग्राम की सीमा के अन्दर स्थित न होकर अन्य निकटवर्ती ग्राम की सीमा में स्थित है, वहाँ धारा 16 के खण्ड (ख) के अधीन ग्राम सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्तियां जिला कलेक्टर को अपने–अपने अधिकारिता के क्षेत्र में प्रयोग करने हेतु एतद्द्वारा प्रत्यायोजित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

15/3/18

(रामनिवास जाट)
सयुंक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व।
5. समस्त संभागीय आयुक्त।
6. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. निबन्धक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
9. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषाक दिनांक 15-3-18 में प्रकाशन हेतु।
10. रा.वि.रा. राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
11. समस्त संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।
13. अनुभागाधिकारी, राजस्व (समन्वय–5) विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।

15/3/18

संयुक्त शासन सचिव